[illegible] 15.55 FROM: SPL SEC TECH EDU U P 0051 [illegible] TO:7

संख्या 2434 / 16–प्रा0शि0–3–2008–40(22) / 2008

प्रेषक,

[illegible]
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश,कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक [illegible] जनवरी,2009

विषय– निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय नई संस्था खोले जाने हेतु अनापत्ति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या [illegible]048 / ई–एआईसीटीई / निजी क्षेत्र / [illegible]ओसी / बैठक / 2008, दिनांक 17–9–2008 के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव / [illegible] [illegible] [illegible] संख्या 2003 / सोलह प्रा0शि0 [illegible] 2003–40(8) / 2003, दिनांक [illegible] 12 2003 [illegible] अनुसार श्री राज्यपाल महोदय शैक्षिक सत्र 2008–09 से प्रदेश के निजी क्षेत्र में निम्न पालीटेक्निक संस्था खोले जाने एवं उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार पाठ्यक्रमों को निम्न शर्तों के अधीन संचालित किये जाने [illegible] सरकार की अनापत्ति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

सोसायटी / ट्रस्ट का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अवधि
श्रीमती पार्वती [illegible], [illegible] वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट मदनपुर, फिरोजाबाद	श्रीमती आर0एल0 सुमन उच्चतर प्राविधिक शैक्षिक संस्थान, मदनपुर, फिरोजाबाद	(1) पी0जी0डी0 इन ब्यूटी एण्ड हेल्थ केयर	60	01 वर्षीय
		(2) पी0जी0डी0 इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	60	02 वर्षीय
		(3) डिप्लोमा माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सैक्रेटेरियल प्रैक्टिस	60	02 वर्षीय
		(4) डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइंस	60	02 वर्षीय
		(5) [illegible]	60	02 वर्षीय

––2 /––

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एल.सुमन
यू.पी.एस. (पॉलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एल.सुमन
यू.पी.एस. (पॉलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

ATTESTED

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एल. सुमन यू.पी.एस.
(पॉलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर फिरोजाबाद (उ0प्र0)

(2) संस्था द्वारा उपरिअंकित पाठ्यक्रम को प्रारम्भ/संचालित करने से पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(3) संस्था के उपरिअंकित पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा ।

(4) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात ही उपरिअंकित पाठ्यक्रमों को संचालित किया जायेगा ।

(5) संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये अधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी ।

(6) उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों हेतु संस्था में छात्रों/छात्राओं के प्रवेश का कार्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जायेगा तथा इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(7) संस्था के उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके छात्र/छात्राओं की वार्षिक परीक्षा को सम्पन्न कराने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ही प्रदान किया जायेगा ।

(8) संस्था के उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता का निर्धारण तथा उसमें कोई परिवर्तन केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जायेगा । दूसरे शब्दों में संस्था को स्वयं अपनी तरफ से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता को घटाने या बढ़ाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार न होगा । इस प्रवेश क्षमता में परिवर्तन का अधिकार एक मात्र राज्य सरकार में ही निहित रहेगा ।

(9) संस्था द्वारा छात्र/छात्राओं से केवल उतना ही शिक्षण शुल्क लिया जायेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा । इस सम्बंध में राज्य सरकार का निर्णय संस्था के लिए बाध्यकारी होगा । संस्था को स्वयं अपनी तरफ से शुल्क निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(10) संस्था राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने नियमों/आदेशों के अनुरूप छात्र/छात्राओं के प्रवेश में प्रयुक्त आरक्षण नीति का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एल.सुमन
यू.पी.एस. (पोलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

श्रीमती आर.एल.सुमन
यू.पी.एस. / पोलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

ATTESTED

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एल. सुमन यू.पी.एस.
(पोलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर फिरोजाबाद (उ.प्र.)

<u>कार्यालय,</u>

<u>सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,</u>

<u>उत्तर प्रदेश लखनऊ।</u>

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817 **लखनऊः दिनांकः 30/08/2022**

<u>:-कार्यालय ज्ञाप-:</u>

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- <u>30/08/2022</u> को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1148-SHRIMANT R L SUMAN UCHCHATAR PRAVIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN			
क्र0सं0	**पाठ्यक्रम का नाम**	**ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता**	**परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता**
1	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
3	HOME SCIENCE	60	60
4	LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	60	60
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना

आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Khan

(एफ0आर0 खान)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455 **दिनांक: 30/08/2022**

प्रतिलिपिः-

प्रधानाचार्य/निदेशक,**SHRIMANT R L SUMAN UCHCHATAR PRAVIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN**

Khan

(एफ0आर0 खान)

सचिव